20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA

96

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017 R 179-II/17

ईश्वरदीन पुत्र श्री मुडंवा राठौर, निवासी– ग्राम बर्री तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदक

विनोद भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 12.1.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.1.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. भागीरथी पुत्र श्री मुडंवा राठौर, निवासी– ग्राम बर्री तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर।

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 12-1-2017

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक /अ–3–11–12 में पारित आदेश दिनांक 30/08/2014 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम बर्री में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 869 रकबा 0.653 हे. का भूमि स्वामी एवं आधिपत्य धारी आवेदक है, अनावेदक क्र.1 रकबा 1.304 हे. का भूमि स्वामी है।

2. यहकि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन सहस्वामी को पक्षकार बनाये बिना नकशा तरमीम हेतु आवेदन किया गया जिस पर आवेदक को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—179—दो / 2017 जिला— अनूपपुर

ईश्वरदीन विरूद्ध भागीरथी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—02—2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर जिला—अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक नि त्र/अ—3 / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 30—08—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019	